

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग  
बिहार कौशल विकास मिशन

Notification No. BSDM/SDM-64/2020- 2272

Date: 30/09/2024

सन्दर्भ : बीएस-सीएफए प्रशिक्षण केन्द्र पंजीकरण 2024 प्रक्रिया

(i) Notification No. BSDM/SDM-64/2020-1853 dated 08.08.2024,

(ii) Notification No. BSDM/SDM-64/2020-2184 dated 18.09.2024.

बीएस-सीएफए प्रशिक्षण केन्द्र पंजीकरण 2024 प्रक्रिया अन्तर्गत निम्न 15 अनुमण्डलों में बीएस-सीएफए प्रशिक्षण केन्द्र चलाने हेतु चयनित कुशल युवा केन्द्रों की सूची:

SN	District/ Sub-division	Center Code	Center Name
1	Aurangabad Aurangabad Sadar	KYP04010019	Zakiruddin Gilani Memorial Education and Welfare Trust
2	Bhabhua Bhabhua Sadar	KYP06030025	Altruistic Creative Services Pvt. Ltd
3	Darbhanga Darbhanga Sadar	KYP02010029	SK Innovations
4	East Champaran Chakia	KYP09030015	Abdul Bari Shikshan Prashikashan Mahavidyalay
5	Gaya Gaya Sadar	KYP04020019	Knowledge-Divine Information Technology Pvt.Ltd.
6	Khagaria Khagaria Sadar	KYP05030013	Maxwell Computer Centre
7	Patna Danapur	KYP06050017	Aman Welfare Society
8	Purnea Banmankhi	KYP07040033	Singh Enterprise
9	Samastipur Jitwarpur (Samastipur)	KYP02030020	Nakshatra Education Institute of Future Assistance Pvt. Ltd. (NEIFA)
10	Sheohar Sheohar	KYP09040020	Sita Infra And Services Pvt Ltd
11	Siwan Basantpur	KYP08030002	Satyendra Singh & Co.
12	West Champaran Bagaha 1	KYP09020053	Novel Institute of Technical and Management Education (NITME) A Unit of R P E W Trust
13	Gaya Khizar Sarai	KYP04020001	Emporis Technologies Pvt Ltd
14	Madhepura Uda kishanganj	KYP03010024	Om Computer Education
15	Samastipur Dalsinhgsarai	KYP02030033	Bhargawa Acme Technical Services Pvt Ltd

नोट :-

- यदि केवाईपी केन्द्र चयन तिथि से 45 दिनों के भीतर बीएसडीएम पोर्टल पर अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण करके अपना बीएस-सीएफए केन्द्र स्थापित करने में असफल रहता है, तो उसका डिमांड ड्राफ्ट जब्त कर लिया जाएगा। बीएसडीएम पोर्टल पर बीएस-सीएफए केन्द्र के अंतिम अनुमोदन पर बीएसडीएम द्वारा डिमांड ड्राफ्ट या उसमें निहित राशि को वापस कर दिया जायेगा।

Re  
M.A.L.P.

9.

✓

- चयनित एजेंसी को बीएसडीएम वेबसाइट पर उल्लिखित या समय-समय पर संशोधित बीएस-सीएफए केंद्र स्थापना दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बीएसडीएम को किसी भी स्तर पर सामान्य या विशेष रूप से उपरोक्त किसी भी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने का विशेष अधिकार होगा।
- बीएसडीएम लॉटरी प्रक्रिया के बाद चयन होने अथवा बीएस-सीएफए कार्यक्रम के तहत ऑन-बोर्डिंग या अंतिम रूप से सूचीबद्ध होने की गारंटी नहीं देता है। बीएस-सीएफए केंद्र के रूप में अंतिम अनुमोदन / सूचीबद्धता बीएसडीएम पोर्टल पर बीएससीएफए केंद्र पंजीकरण प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन होगी।

30/9/21

मिशन निदेशक  
बिहार कौशल विकास मिशन

re 11 4.  
mn (25)